न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 02/2019 (225)

आरसीएमएस संख्या – 2019/00006

उनवान :–

1. नीरज कुमार पुत्र रमेशचन्द जाति वैश्य निवासी साकेत कॉलोनी आगरा (यू0पी0)
2. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र हरप्रसाद जाति वैश्य निवासी बृजकिशोर कॉलोनी कमला नगर आगरा यूपी0।

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर।

.....रैस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर दिनांक 13.06.2018 प्रकरण संख्या 18/17 उनवान सरकार बनाम नीरज।

उपस्थित :–

1. श्री हरवीर सिंह एडवोकेट अपीलाण्ट।
2. श्री गजेन्द्र सिंह राजकीय अभिभाषक।

निर्णय **दिनांक :–07.04.2021**

1. यह अपील इस न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी धौलपुर के आदेश दिनांक 13.06.2018 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदार धौलपुर ने एक प्रार्थना–पत्र धारा 177 आर0टी0एक्ट0 इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थीगण/अपीलाण्ट द्वारा आराजी खसरा नम्बर 781 रकवा 01 बीघा 13 विस्वा, 783 रकवा 17 विस्वा किस्म चा0 प्रथम वाके ग्राम सकतपुर तहसील धौलपुर में अपनी खातेदारी भूमि में बिना अनुमति/रूपान्तरण करायें, अवैध रूप से क्रेशर स्थापित कर लिया है। अतः उक्त रकवे को सिवायचक दर्ज करने का आग्रह किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई, अपीलाधीन आदेश से स्वीकार करते हुये, विवादित आराजी को सिवायचक दर्ज करने एवं अप्रार्थी/अपीलाण्ट को मौके से बेदखल करने के आदेश पारित कियें। जिससे व्यथित होकर अप्रार्थी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रैस्पो0 व तहत पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट की बिना विधिवत तामील कराये एवं बिना सुनवाई का मौका दिये प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत निर्णय पारित किया है।

अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 15.09.2017 को धारा 177 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया एवं प्रकरण दर्ज किया जाकर आगामी पेशी दिनांक 10.10.2017 को वास्ते तलवी नियत की गई। दिनांक 10.10.2017 को अपीलाण्ट्स पर किसी भी प्रकार का कोई सम्मन नहीं पहुँचा एवं ना ही सम्मन वापस पत्रावली पर लौट कर आये। अपीलाण्ट्स को अपने विरूद्ध चल रहें प्रकरण की किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं रही। उसके बावजूद अपीलाण्ट्स की बिना तामील कराये राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत विपरपुर में अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। यदि अपीलाण्ट पर सम्मन तामील हुआ होता तो अपीलाण्ट अपना जवाव प्रस्तुत कर सकते थे। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 177 आरटीएक्ट के उपबन्ध 2 लगायत 4 की पालना भी नहीं की गयी है एवं बिना कोई जॉच किये, बिना तहसीलदार एवं पटवारी के बयान लिये, मात्र हल्का पटवारी की 09 माह पुरानी रिपोर्ट को सही मानकर निर्णय पारित किया है। जिसे किसी भी तरह से तर्कसंगत नहीं माना जा सकता है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि अपील मियाद बाहर पेश की गई है। अपीलाण्ट द्वारा अपने खातेदारी की आराजी में बिना अनुमति/ रूपान्तरण कराये, अवैध रूप से क्रेशर स्थापित कर कृषि भूमि का अकृषि कार्य हेतु उपयोग किया जा रहा है। जो गैर कानूनी है। अपीलाण्ट का यह कथन कि उसे बिना सुने आदेश पारित किया है, गलत है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत रूप से नोटिस जारी किये जाकर पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजात की विधिवत जॉच उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। हम पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में कही भी यह उल्लेख नहीं है कि अपीलाण्ट को नोटिस की तामील हो चुकी हो। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दिनांक 15.09.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी करते हुये अग्रिम पेशी दिनांक 10.10.2017 नियत की गयी है। पेशी दिनांक 10.10.2017 की आदेशिका में अंकित है कि नोटिस बाद तामील वापस प्राप्त नहीं हुये एवं अग्रिम पेशी दिनांक 16.10.2017 नियत की गयी। पेशी दिनांक 16.10.2017 में अधीनस्थ न्यायालय ने ना तो नोटिस बाद तामील प्राप्त हुये अथवा नहीं का ही उल्लेख किया है एवं ना ही पुनः नोटिस जारी किये गये हैं। इसी प्रकार अन्य पेशियों क्रमशः 24.10.2017, 24.11.2017, 16.01.2018, 20.03.2018, 14.05.2018 में भी अपीलाण्ट/अप्रार्थी के नोटिस तामील होने एवं उनके अथवा उनके अभिभाषक की उपस्थिति का उल्लेख नहीं है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलाण्ट/अप्रार्थी के कोई तामील शुदा नोटिस भी संलग्न नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने पेशी दिनांक 14.05.2018 को अग्रिम पेशी दिनांक 13.06.2018 नियत की गयी थी। उक्त पेशी में यह कही भी अंकित नहीं है कि उक्त पेशी राजस्व लोक अदालत के लिये नियत की गयी। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने पेशी दिनांक 13.06.2018 को प्रकरण सीधे राजस्व लोक अदालत में रखकर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखने का भी नोटिस अपीलाण्ट/अप्रार्थी को नहीं दिया गया है एवं ना ही उनकी उपस्थिति का कोई उल्लेख, अपीलाधीन निर्णय एवं उक्त दिवस की आदेशिका में अंकित है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि अपीलाधीन

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प-धौलपुर

आदेश अपीलाण्ट/अप्रार्थी को बिना सुने एक पक्षीय रूप से पारित हुआ है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत है।

6. हम यहॉ यह भी स्पष्ट करना उचित समझते हैं कि किसी भी पत्रावली का न्यायिक निस्तारण केवल न्यायालय परिसर में ही किया जा सकता है, केवल राजीनामा व सहमति के आधार पर पत्रावलियों का निस्तारण न्यायालय के अतिरिक्त किसी कैम्प में विधि अनुसार किया जा सकता है। राजस्व लोक अदालत का भी उद्देश्य केवल यही था कि आपसी सहमति एवं राजीनामें के आधार पर चल रही पत्रावलियों का निस्तारण किया जावें। परन्तु हस्तगत प्रकरण में पक्षकारो के मध्य कोई राजीनामा होना दृष्टिगोचर नहीं होता है। इस प्रकार बिना राजीनामा एवं पक्षकार को बिना सूचना दिये, राजस्व लोक अदालत में प्रकरण रखकर पारित अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

7. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर का आदेश दिनांक 13.06.2018 खारिज किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलाण्ट को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये, पुनः विधि अनुरूप निर्णय पारित करें। उभयपक्ष को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 02.06.2021 को वास्ते सुनवाई उपस्थित होंवें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे। बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

8. निर्णय आज दिनांक 07.04.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

07.04.2021

(अखिलेश कुमार पिपल)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी एवं
कार्य0 भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर